

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

छीतर पिता गोरु मीणा नि. बरदपुरा

वनाम

खेमराज पिता गंगाराम मीणा नि. बरदपुरा वगैरा

किरम मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 1341/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
06.12.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गाँवों के रांग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बरदपुरा प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 210, 32, 36, 57 कुल किता 4 रकबा 0.8175 है। स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी अप्रार्थीगण है। सीमा चिन्हो को लेकर प्रार्थी से विवाद करते रहते है। आये दिन खेत के अपनी भूमि आराजियात की स्थाई सीमा चिन्हो की जानकारी नही होने के कारण आये दिन हंकाई, बुवाई, कटाई के समय अक्सर सीमा विन्दु को लेकर विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय वहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक में अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम बरदपुरा प. ह. अमरवासी तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 210, 32, 36, 57 कुल किता 4 रकबा 0.8175 है। की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500-रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी गौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। प्रार्थना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रदान करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	